राजस्व अपील संख्या 03/2026 किशनलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.05.2026	पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3/1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर अपीलान्ट किशनलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को विधिक रूप से पोषणीय नही होने से प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने का निवेदन किया गया है । वादग्रस्त आराजी ग्राम जोगापुरा, तहसील शिवगंज स्थित पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 244 एवं 245, कुल रकबा 15.1271 हैक्टर, जिस पर रेस्पोडेन्ट्स का शांतिपूर्ण कब्जा व काश्त चला आ रहा है। हस्तगत अपील, वह सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 88/2001 (राजस्थान सरकार बनाम खीमाराम वगैरा) में दिनांक 30.09.2004 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 95/2004 (जवानाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य) प्रस्तुत की जा चुकी थी । उक्त पूर्ववर्ती अपील का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 05.04.2006 को किया जा चुका है, जिसके तहत रेस्पोडेन्ट्स की अपील को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा गया था। तदुपरान्त, निर्णय दिनांक 05–04–2006 के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स (जवानाराम, तेजाराम, भगाराम आदि) द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या सिरोही/अपील डिक्री टी.ए. संख्या 4358/2006 अनवान जवानाराम बनाम राजस्थान सरकार, दिनांक 04.07.2006 को प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 10.08.2006 को न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री के क्रियान्वयन को आगामी पेशी तक स्थगित कर दिया गया था, जो स्थगन आदेश आज दिनांक तक लगातार प्रभावी है। ऐसी स्थिति में, अपीलान्ट किशनलाल ने तथ्यों को छिपाते हुए यह समानांतर अपील प्रस्तुत की है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट किशनलाल पूर्व की अपीलीय कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं था, इसलिए उसके हितों को सुरक्षित करने हेतु धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह अपील प्रस्तुत करने का उसे पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल आदेश दिनांक 30–09–2004 विधिक त्रुटियों से ग्रसित है, जिससे अपीलान्ट के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही भिन्न पक्षकारों के मध्य है और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	केवल उस आधार पर अपीलान्ट को विधिक उपचार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र मात्र कार्यवाही को विलंबित करने का एक प्रयास है, जिसे निरस्त कर मुख्य अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.04.2006 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2004 का विधिक परीक्षण कर डिक्री पारित की जा चुकी हो , और वह निर्णय वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष विचारधीन हो, तो क्या उसी मूल निर्णय के विरुद्ध पुनः इसी न्यायालय हाजा में समानांतर अपील पोषणीय हो सकती है? Res Judicata के सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार एक ही सक्षम प्राधिकारी अथवा समवर्ती न्यायालय अपने ही द्वारा पूर्व में तय किए जा चुके विधिक विवाद पर पुनः विचार नहीं कर सकता। न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर, सिरोही का निर्णय दिनांक 30.09.2004 न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 05.04.2006 हो चुका है इसके अतिरिक्त, वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 4358/2006 के रूप में विचाराधीन है , और जिसमें स्थगन आदेश आज भी निरंतर प्रभावी है । पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजात वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में बेचान से नामान्तरण संख्या 2523 दिनांक 13.03.2024 तथा उपहार से नामान्तरण संख्या 2526 दिनांक 01.04.2024 एवं पुनः बेचान से नामान्तरण संख्या 2524 दिनाक 21.06.2024 स्वीकृत किया गया एवं जमाबंदी की नकल दिनांक 08.10.2025 की स्थिति अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में किशनलाल, गोपालराम, रमेश कुमार, लालाराम व सवाराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सरकार के पक्ष में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय व डिक्री पारित कर देने के बावजूद न्यायालय हाजा द्वारा उक्त डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील खारिज कर देने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2004 का अमलदरामद संबंधित तहसीलदार द्वारा नहीं किए जाने तथा ऐसी स्थिति में भू– अभिलेख में प्रतिवादीगण का ही नाम दर्ज	

राजस्व अपील अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	रह जाने के आधार पर वर्तमान में प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील जैरकार होने के बावजूद वादग्रस्त आराजीयात का अन्तरण होने के साथ साथ रहन भी रखा गया है। प्रकरण में संबधित व्यक्ति विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वर्तमान में जैरकार अपील स्तर पर आवश्यक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में ही दिनांक 05.04.2006 को अपील संख्या 95/2004 द्वारा प्रथम अपील निर्णित कर देने के बाद उसी प्रकरण में न्यायालय हाजा को पश्चातवर्ती पुनः अपील सुने जाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। साथ ही ऐसी स्थिति में, यदि न्यायालय हाजा द्वारा इस समानांतर अपील पर कोई भी विचार करता है, तो वह न केवल स्थापित न्यायिक पदानुक्रम (Judicial Hierarchy) का उल्लंघन होगा, बल्कि माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश की विधिक अवमानना व परस्पर विरोधी आदेशों की स्थिति उत्पन्न कर देगा, जिसकी अनुमति कानूनन कदापि नहीं दी जा सकती। अपीलान्ट द्वारा पूर्व अपीलीय कार्यवाहियों व प्रभावी स्थगन के तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। अतः क्षेत्राधिकार तथा पोषणीयता के सर्वथा अभाव में यह अपील प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त होने योग्य पाई जाती है। परिणामस्वरूप रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट किशनलाल द्वारा प्रस्तुत यह अपील संख्या 03/2026 पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	